

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, (आईईसी) राजस्थान, जयपुर

जॉब कार्य हेतु निविदा प्रपत्र 'ए'

निविदा प्रपत्र शुल्क : 200/- रुपये

अवधि : 1 वर्ष

निविदा जमा कराने की दिनांक 04.09.2012 को अपरान्ह 12.00 बजे तक

निविदा खोलने की दिनांक 04.09.2012 को अपरान्ह 03.00 बजे

कार्य की अनुमानित लागत 1.80 लाख

फर्म का नाम व डाक का पता :-

दूरभाष सम्पर्क नं.

कार्य का नाम :- विभागीय गतिविधियों के सम्पादन हेतु जॉब कार्य के लिए प्रस्तावित वार्षिक दर।

दर का विवरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	प्रस्तावित वार्षिक दर रु. (अंको शब्दों में)	सेवाकर राज्य सरकार/केन्द्र सरकार के नियमानुसार देय होगी।
1.	विभागीय स्टोर के रखरखाव का कार्य		

1. विभागीय जॉब कार्य का विस्तृत विवरण निविदा पत्र के साथ संलग्न है।
2. एजेन्सी को किसी प्रकार का अतिरिक्त सर्विस कमीशन देय नहीं होगा। उपरोक्त अंकित दरों पर सेवाकर राज्य/केन्द्र सरकार के नियमानुसार देय होगा।
3. कॉलम सं. 3 में अंकित दरों में समस्त प्रकार के अन्य व्यय शामिल है, इसके अतिरिक्त कोई राशि देय नहीं होगी।

हस्ताक्षर निविदादाता मय नाम
व पूरा पता रबर स्टाम्प सहित

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, (आईईसी) राजस्थान, जयपुर

1. निविदा प्रस्तुत करने वाली फर्म का नाम तथा डाक का पूरा पता :-

.....
.....

(टेलिफोन नं. अवश्य अंकित करें)

2. फर्म के रजिस्ट्रेशन नं. :-

पंजीकरण करने वाले विभाग का नाम एवं
मान्यता अवधि (प्रमाण पत्र संलग्न करें)

3. पंजीकरण में फर्म के कार्य :

4. अनुभव :-

(विवरण दें तथा प्रमाण पत्र संलग्न करें)

5. वित्तीय टर्नओवर राशि

2010-11

.....

2011-12

.....

(आयकर विवरणी अथवा अंकेक्षित लेखे संलग्न करने होंगे)

6. वर्ष 2011-12 का सेवाकर चुकता प्रमाण पत्र एवं सेवाकर रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र की अटेस्टेड फोटो प्रति संलग्न करें।

7. निविदा शुल्क की रकम की राशि रुपये 200/- (दो सौ रुपये) रोकड रसीद संख्या.....
दिनांक द्वारा संस्थान में जमा करा दी गई है।

8. निविदा सूचना संख्या क्रमांक : आई.ई.सी./सं.सा.उ.क./2013/ दिनांक
व जो विभिन्न स्थानीय समाचार पत्रों के द्वारा जारी की गई है, में वर्णित समस्त शर्तों का पालन करने के लिए मैं/हम सहमत हैं तथा उक्त निविदा सूचना की अन्य शर्तें जो संलग्न पृष्ठों में दी गई है, जिसके समस्त पृष्ठों पर उनमें वर्णित शर्तों को हमारे द्वारा स्वीकार किये जाने के प्रतीक स्वरूप, हमने हस्ताक्षर कर दिये हैं, का भी पालन करने के लिए हम सहमत हैं।

9. उक्त निविदा के साथ संविदा की शर्तों के अनुसार राशि रुपये(अक्षरे रुपये
..... मात्र) डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चेक संख्या
दिनांकबैंक का नाम जो
निदेशक, राज्य स्वास्थ्य प्रचार शिक्षा सूचना एवं संचार संस्थान, राजस्थान जयपुर के पक्ष में
देय है, संलग्न है।
10. हम इस जॉब कार्य के लिए अपनी न्यूनतम दरें 'प्रपत्र-ए' में अंकित करते हैं।
11. निविदादाता एकल स्वामित्व की फर्म है अथवा साझेदारी की ?
12. एकल स्वामित्व है तो स्वामी का नाम व पता
.....
13. साझेदारी की स्थिति में साझेदारी के नाम व पते
.....
14. निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति का नाम, पता व संपर्क दूरभाष नं. तथा उसकी
फर्म में स्थिति :-
.....
15. इस निविदा प्रपत्र पर हस्ताक्षरित व्यक्ति के अलावा यदि कोई भविष्य में पत्र व्यवहार करे तो
उस व्यक्ति का नाम, पता संपर्क दूरभाष एवं हस्ताक्षर तथा उसकी फर्म में स्थिति एवं
प्राधिकृति।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मोहर व पता सहित
दूरभाष

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, (आईईसी) राजस्थान, जयपुर

जॉब कार्य हेतु
निविदा व संविदा की शर्तें

1. निविदा सूचना के प्रकाशित सभी शर्तें इस निविदा का भाग मानी जायेगी।
2. निदेशालय आई.ई.सी. में जॉब कार्य हेतु अनुबन्ध के आधार पर एक वर्ष के लिए निविदा दरें आमन्त्रित की जाती है, जो अंकों एवं शब्दों में होनी चाहिए। जिसमें किसी शर्त के तहत प्राप्त निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. विभाग न्यूनतम दर प्रदाता की निविदा को स्वीकार करने के लिए बाध्य नहीं होगा तथा किसी भी निविदा या निविदा के भाग को बिना कारण बताये रद्द करने का पूर्ण अधिकार विभाग को होगा।
4. निविदादाताओं को निविदा सूचना में दिये गये निर्देशानुसार निविदा उचित रूप से लिखकर मोहरबन्द लिफाफे में बन्द करके लिफाफे पर जॉब कार्य हेतु निविदा प्रपत्र अंकन के साथ कौने पर निविदादाता अपना पूर्ण पता एवं संपर्क दूरभाष नम्बर लिखेंगे।
5. निविदा सीलबंद लिफाफे में दिनांक 04.09.2012 को अप्रान्ह 12.00 बजे तक, या इससे पूर्व कार्यालय में जमा कराई जा सकती है। इसके पश्चात् प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा।
6. निविदाएं क्रय समिति के समक्ष अधिकृत अधिकारी द्वारा दिनांक 04.09.2012 को मध्यान्ह पश्चात् 03.00 बजे खोली जायेंगी। जिसमें निविदाकर्ता अथवा उनके प्रतिनिधि उपस्थित रह सकते हैं।
7. निविदादाता फर्म अनुबंधित जॉब कार्य का राजकीय कार्यालय व संस्थाओं में आपूर्ति करने का कम से कम 2 वर्ष का अनुभव रखते हो तथा इस हेतु विभाग अथवा संस्थान से प्राप्त पत्र/अनुभव प्रमाण-पत्र एवं रजिस्ट्रेशन की फोटोप्रति संलग्न करनी होगी। वित्तीय रूप से सुदृढ़ एवं अधिक अनुभवी फर्मों को प्राथमिकता दी जावेगी। इस हेतु विगत दो वर्षों का आयकर विवरणी अथवा अकैक्षित लेखे संलग्न करने होंगे।
8. निविदा स्पष्ट शब्दों व अक्षरों में पेन/स्याही से ही भरी जायेगी। किसी भी प्रकार की कांट-छांट या ओवर राइटिंग के कारण निविदा निरस्त की जा सकती है अथवा निविदा खोलने वाली समिति ऐसी कांट-छांट ओवर राइटिंग पर जो भी निर्णय ले, वह निविदादाता को मान्य होगा।
9. निविदा को अथवा निविदा के किसी भाग को निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निदेशक (आई.ई.सी.) का होगा।
10. सेवा आपूर्तिकर्ता संस्था द्वारा समय-समय उपलब्ध कराये गये कार्मिकों की आयु 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए तथा वे साक्षर होने चाहिए।
11. निविदादाता निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करेगा तथा अन्त में निविदा की समस्त शर्तों को स्वीकार करने के प्रमाण स्वरूप हस्ताक्षर करेगा। निविदाकार द्वारा निविदा प्रपत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर इस बात को दर्शायेंगे कि निविदाकार ने सभी शर्तों का पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। अतः निविदाकार को चाहिए कि सभी शर्तों को पढ़कर समझ ले। यदि किसी प्रकार से स्पष्टीकरण की आवश्यकता हो तो वह किसी भी कार्यालय दिवस में कार्यालय समय में विभाग के सक्षम अधिकारी से मिलकर प्राप्त कर सकते हैं।
12. निविदादाता द्वारा निविदा की शर्तों के अतिरिक्त अंकित की गई कोई भी अन्य शर्त विभाग को मान्य नहीं होगी। निविदा में दरों के साथ कोई शर्त मान्य नहीं होगी।
13. निविदा प्रस्तुत करते समय निविदादाता को बयाना राशि (अग्रिम राशि) के रूप में 3,600/- रुपये की राशि निदेशक(आई.ई.सी.), जयपुर के पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक के रूप में जमा करानी होगी। बिना धरोहर राशि के निविदा अस्वीकृत कर दी जायेगी। निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि प्रतिभूति की

(5 प्रतिशत) राशि में समायोजित कर ली जावेगी। तथा निविदा अस्वीकृत होने की स्थिति में यह राशि विभाग द्वारा लौटा दी जावेगी।

14. बयाना (अग्रिम राशि) राशि का समपहरण निम्न स्थितियों किया जा सकेगा।

- I. जब निविदादाता निविदा खोले जाने के पश्चात् किन्तु निविदाकी स्वीकृति के पूर्व निविदा वापस ले लेता है या प्रस्ताव को उपान्तरित कर देता है।
- II. जब निविदादाता विनिर्दिष्ट समय के भीतर विहित करार यदि कोई हो, निष्पादित नहीं करता।
- III. जब आदेश दिये जाने के पश्चात् नियत समय में प्रतिभूति राशि जमा नहीं कराता।
- IV. जब निर्धारित समय में अनुबंधित जॉब कार्य की सेवाओं की व्यवस्था प्रारंभ करने में विफल रहता है।

15. निविदा स्वीकृत होने की स्थिति में सफल निविदादाता को 100/- रु के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप में अनुबन्ध करना पड़ेगा। अनुबन्ध पर हस्ताक्षर करने से पूर्व अनुबंधकर्ता को निविदा राशि का 5 प्रतिशत बतौर प्रतिभूति राशि के रूप में निदेशक(आई.ई.सी.), जयपुर पक्ष में देय डिमाण्ड ड्राफ्ट/बैंकर चैक द्वारा जमा करानी पड़ेगी। यह राशि अनुबंध के संतोषजनक निष्पादन होने की स्थिति में अनुबंध की अवधि समाप्त होने पर वापिस लौटा दी जावेगी। इस राशि पर विभाग द्वारा कोई ब्याज देय नहीं होगा।

16. करार के पूर्ण किये जाने हेतु स्टाम्प पेपर का व्यय निविदादाता द्वारा संदत्त किया जाएगा और विभाग को करार का स्टाम्प शुद्ध प्रतिलेख निःशुल्क प्रस्तुत किया जावेगा।

17. जॉब कार्य करने वाली फर्म का कार्य यदि संतोषजनक नहीं होगा तो निदेशक(आई.ई.सी.), स्वास्थ्य भवन, तिलक मार्ग, सी-स्कीम, जयपुर द्वारा रिस्क एण्ड कॉस्ट के तहत कार्य करवाया जायेगा।

18. जॉब कार्य करने वाली एजेंसी द्वारा समय-समय पर उपलब्ध कराये गये कार्मिकों का चरित्र अच्छा होना चाहिए एवं उनके संबंध में सम्पूर्ण जिम्मेदारी सम्बन्धित एजेंसी की होगी।

19. जॉब कार्य एजेंसी के अधीकृत प्रतिनिधि को कभी भी वार्ता हेतु कार्यालय बुलाया जाये तो उसे उपस्थित होना होगा।

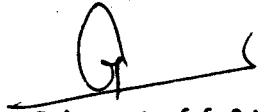
20. उपलब्ध कराये गये व्यक्तियों में से यदि किसी ने कोई अनियमितता की तो उसका पूर्ण उत्तरदायित्व एजेंसी का होगा।

21. अनुबंधकर्ता फर्म को दिया गया कान्ट्रैक्ट वह किसी अन्य एजेंसी अथवा फर्म को नहीं सौंप सकेगा अर्थात् सबलेट नहीं कर सकेगा।

22. अनुबंध प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए होगा एवं संतोषप्रद कार्य करने पर उसे आपसी सहमति से बढ़ाया जा सकेगा।

23. उपरोक्त शर्तों के साथ ही सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम लागू रहेंगे।

24. किसी भी विवाद के उत्पन्न होने की स्थिति में न्याय क्षेत्र जयपुर होगा।


निदेशक (आई.ई.सी.)

मैंने/हमने उपरोक्त सभी शर्तों को सावधानीपूर्वक परिशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम सभी उपरोक्त सभी कार्यों/शर्तों से प्रतिबन्धित रहेंगे।

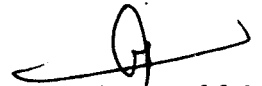
निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण सेवायें, (आईईसी) राजस्थान, जयपुर

निविदा फार्म जमा करवाने की दिनांक 04.09.2012
समय 12.00 बजे

विभागीय स्टोर के रख रखाव कार्य का विवरण :-

1. विभागीय भण्डार स्वास्थ्य भवन एवं सेठी कॉलोनी में स्थिति है जिनकी नियमित साफ सफाई करना दीमक व अन्य कीटाणुओं को नष्ट करने के लिए आवश्यक पेस्टिसाईड का छिड़काव करना।
2. समय-समय पर विभाग द्वारा क्रय की गई विज्ञापन सामग्री प्राप्त कर ट्रकों से उतारकर विषयवार सुव्यवस्थित रूप से भण्डार के कमरों में रखना साथ ही प्राप्त सामग्री की गणना करना।
3. विभाग द्वारा भण्डार में उपलब्ध सामग्री का आवंटन पत्र जारी किया जाता है उसके आधार पर भण्डार में उपलब्ध सामग्री को विषयवार सम्बन्धित जिलेवार छांट-छांट कर बण्डल तैयार करना, साथ ही वितरण चार्ट अनुसार अंकित मात्रा (संख्या) भी सुनिश्चित करते हुए भण्डार अधिकारी के पर्यवेक्षण/निर्देशन अनुसार उक्त सामग्री को जिलों से आये वाहनों में सुव्यवस्थित रूप से रखवाना एवं जिले से आये प्रतिनिधि को सामग्री की मात्रा व विषय के बारे में अवगत कराना।
4. विभाग द्वारा प्रतिवर्ष जयपुर में आयोजित की जाने वाली विभागीय प्रदर्शनियों आदि के कार्य में कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशानुसार विभाग में उपलब्ध विज्ञापन सामग्री यथा पोस्टर, बैनर, स्टैण्ड्री, कैनोपी, प्रदर्शनी स्टैण्ड, सनबोर्ड, फ्लेक्स आदि का प्रदर्शन करना।
5. विभाग द्वारा चिकित्सा के क्षेत्र में विभिन्न विषयों पर मुद्रित पुस्तिकाओं को राज्य में सभी जच-प्रतिनिधियों/एनजीओ एवं सभी विभागाध्यक्षों आदि को लगभग 35,000 पुस्तिका प्रति तिमाही भिजवाई जानी होती है। जिसमें लिफाफे पर पता अंकित करना, पुस्तिकाओं को लिफाफे में पैक करना, डाक टिकट चिपकाने के पश्चात् भिजवाने आदि का कार्य किया जाता है। इन पुस्तिकाओं को मुख्यालय पर स्थित सभी अधिकारियों, जनप्रतिनिधियों को सचिवालय में स्थित अधिकारियों को भिजवाई जाती है।
6. रैली :- विभिन्न कार्यक्रम दिवसों पर समय-समय पर विभिन्न रैलियों का आयोजन किया जाता है। रैली को सुसज्जित एवं एकरूपता के लिए विभिन्न सामग्री तैयार कराई जाती है जैसे टी-शर्ट, टोपी, बैनर, प्ले कार्ड (तकतियां) जलपान आदि का वितरण किये जाने हेतु रैली में सहभागियों की संख्या के अनुसार कार्य करना।
7. विभागीय प्रचार-प्रसार हेतु तैयार कराये गये बैनर को जयपुर शहर में मुख्य बाजार, चौराहो आदि पर प्रदर्शन करवाना।
8. विभागीय विशेष अभियान पल्स पोलियो दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, राजस्थान जननी शिशु सुरक्षा योजना को व्यापक प्रचार-प्रसार हेतु स्थानीय सरकारी कार्यालय, चिकित्सा इकाईयों आदि पर पोस्टर, बान्दरवाल आदि चिपकाकर प्रदर्शित करना।
9. निदेशालय में स्थित भण्डार में स्थाई प्रदर्शनी संचालित है जिस पर प्रतिदिन, फोल्डर, हैण्डबिल, पोस्टर, बुकलेट आदि का वितरण किया जाता है इस प्रदर्शनी में मुख्य तौर पर नर्सिंग कॉलेज के छात्र-छात्राएं व अध्यापक आते हैं जिन्हें प्रदर्शनी पर प्रदर्शित सामग्री दिखाई जाती है एवं इन छात्र-छात्राओं को सम्बन्धित पाठ्यक्रम में उपयोग आने वाली प्रचार-प्रसार सामग्री कार्यक्रम अधिकारी के निर्देशानुसार वितरित की जाती है। जिसका नियमित रिकार्ड संधारण किया जाता है।
10. समय-समय पर विभिन्न योजनाओं एवं विभिन्न बीमारियों से बचाव हेतु राजधानी में स्थित प्रमुख धार्मिक स्थलों पर विशेष दिवसों पर आई.ई.सी. ब्यूरो द्वारा विभागीय गतिविधियों के प्रचार-प्रसार हेतु विभागीय अधिकारियों के आदेशानुसार स्टॉल लगाई जाती है। जिसमें हैण्डबिल, पोस्टर, फोल्डर आदि प्रदर्शित किये जाते हैं।


निदेशक (आई.ई.सी.)

मैंने/हमने उपरोक्त सभी शर्तों को सावधानीपूर्वक परीशीलन कर लिया है एवं समझ लिया है तथा मैं/हम सभी उपरोक्त सभी कार्य/शर्तों से प्रतिबन्धित रहेंगे।

निविदादाता के हस्ताक्षर
मय मोहर